

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ.ग.

फोन नम्बर 07856-25264

इमेल आइडी - deo.officedantewada@gmail.com

क्रमांक/ 1449 /स्था-1/जि.शि.अ./2019

दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/07/2019

## // अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 12-7/2014/20-2, अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/06/2019 के तहत राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्ययन हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के तारतम्य में दन्तेवाड़ा जिले में संचालित शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के रिक्त पदों पर अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है, इस हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	जिला	विषयवार रिक्त पदों की संख्या						योग
		अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीव विज्ञान	वाणिज्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>दन्तेवाड़ा</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>57</b>

**टीप:-** रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। पद बढ़ बढने की स्थिति में प्राप्त आवेदनों से ही चयन की जावेगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

अतिथि शिक्षक की शैक्षिक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित है।

- 1/ **अतिथि शिक्षक व्यवस्था :-** यह व्यवस्था शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी।
- 2/ **विज्ञापन :-** रिक्त पदों का विज्ञापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- 3/ **शैक्षणिक आहर्ता :-** संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एव बी.एड.।
- 4/ **अतिथि शिक्षक चयन हेतु वरियता क्रम :-**
  - 4.1 सर्वप्रथम विद्यामितान द्वारा पूर्व में सेंवायें दी गई हो, तो उन्ही विद्यामितानों की सेवायें अतिथि शिक्षक के रूप में गतवर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर ली जायेगी। विद्यामितान को अपने पदस्थ संस्था प्रमुख से कक्षावार परीक्षा परिणाम सत्यापित कर आवेदन के साथ जमा करना होगा।
  - 4.2 तत्पश्चात् अतिथि शिक्षक चयन हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम राजस्व जिला (दन्तेवाड़ा) के आवेदकों को दी जावेगी, जिले में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर दूसरी प्राथमिकता राजस्व संभाग को दी जावेगी एवं अंत में उम्मीदवार न मिलने पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था राज्य स्तर के उम्मीदवार को दी जावेगी।
  - 4.3 विद्यामितान उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य आवेदकों से प्राप्त आवेदन में स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।
  - 4.4 इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जायेगा।
  - 4.5 अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष एवं 40 वर्ष होगी।
- 5/ **मानदेय :-** अतिथि शिक्षक को 18000/- (अठ्ठारह हजार रुपये मात्र) मासिक। इसका भुगतान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जायेगा।

6/ **उपस्थिति:-** संस्था प्रमुख द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।

7/ **अन्य शर्तें :-**

7.1 अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति/ पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश समिति के अध्यक्ष के द्वारा दिये जायेंगे।

7.2 शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक ही प्रभावी होगा।

7.3 अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

7.4 सर्वप्रथम शिक्षक विहीन हाई/हायर सेण्डरी स्कूलों में 03 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी, तत्पश्चात एकल शिक्षकीय हाई/ हायर सेकण्डरी स्कूलों में 02 व्याख्याता के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाएंगे।

7.5 अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करेंगे।

7.6 आवेदन पत्र की उपलब्धता:- आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी दन्तेवाड़ा जिले के [वेबसाईट](http://www.dantewada.gov.in) [www.dantewada.gov.in](http://www.dantewada.gov.in) पर देखा जा सकता है।

अतः अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र डाक के माध्यम से या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दन्तेवाड़ा में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 18.07.2019 सायं 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**जिला शिक्षा अधिकारी**

जिला द.ब. दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/07/2019

पृ0क्रमांक/ 1450 /स्था-1/जि.शि.अ./2019

**प्रतिलिपि :-**

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, बस्तर संभाग जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, महोदय जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा को सादर सूचनार्थ।
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ..... को सूचनार्थ।
8. प्राचार्य/अध्यक्ष, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शा. हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

**जिला शिक्षा अधिकारी**

जिला द.ब. दन्तेवाड़ा (छ.ग.)



13. क्या पूर्व में विद्याभितान के रूप में सेवार्ये दी गई है (हां/नही) :- .....  
(हों तो पूर्व में कार्यरत शाला का नाम एवं आदेश कापी संलग्न करें):- .....

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

- |         |         |
|---------|---------|
| 1 ..... | 2 ..... |
| 3.....  | 4 ..... |
| 5.....  | 6 ..... |

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नाम एवं पता .....

// घोषणा //

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने विज्ञापित पात्रता पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों पूर्ण और सत्य है। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा तथा चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के निरस्त की जावेगी।

स्थान :- .....

दिनांक :- .....

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नाम एवं पता .....